

मांग संख्या 33  
मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1**

अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम-1998 के अन्तर्गत वेतन-भत्ते एरियर्स के भुगतान हेतु राशि रूपये 395.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति प्रदाय करने हेतु राशि रूपये 595.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनान्तर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त राशि रूपये 221.34 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,21,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।